रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 1991/भाद्र 8, 1913
No. 321] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 1991/BHADRA 8, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1991

सा.का.नि. 555(अ) :—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मद्रास पत्तन से संबंधित भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 161(अ) दिनांक 20-3-91 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त सूचना के नीचे दी गई सारणी में (क) प्रविष्टि "जल-भूतल मंत्रालय के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

नियुक्त किये जाने वाले दिन	नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
अन्य दिन	3

(ख) कालम (2) में (योग) शब्द के सम्मुख संख्या "9" के स्थान पर संख्या "10" प्रतिस्थापित की जाये।

[फा.सं.पी टी-18011-3/89 पी-टी (1)]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th August, 1991

G.S.R. 555 (E):- In exercise of powers conferred by the sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 161 (E) dated 20-3-91 relating to the Port of Madras.

In the Table below the said notification (a) after the entry "Ministry of Surface Transport" the following entry shall be inserted namely:—

Interests to be appointed	No. of persons to be appointed
Other Interests	3

(b) against the word 'total' in the column (2) for the figure '9' the figure '10' shall be substituted.

[File No. PT-18011-3-89—PT(i)]

सा.का.नि. 556(अ) :—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप धारा (6) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस.आर. वेंकटाचलम को मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिये न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संख्या 162(अ) दिनांक 20-3-91 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाये अर्थात् :—

20. श्री एस.आर. वेंकटाचलम—अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये

3. न्यासी के रूप में श्री एस.आर. वेंकटाचलम का कार्यकाल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

[फा.सं. पी टी-18011-3/89-पीटी(ii)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

G.S.R. 556 (E).—In exercise of powers conferred by Sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Ports Act 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said Section, the Central Government hereby appoints Shri S.R. Venkatachalam, representing 'other Interests' on the Board of Trustees for the Port of Madras and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. 162 (E) dated 20-3-91 namely:—

2. In the said notification after Serial Number 19 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry be inserted, namely:—

20. Shri S.R. Venkatachalam	Representing 'Other Interest'

3. The term of office of Shri S.R. Venkatachalam Madras as a trustee will be regulated as per provisions of Section 7 (2) of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

[File No. PT-18011-3/89-PT(ii)]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054, 1991